

UPGRADATION AND LOCKING RULE:

Rearrangement in 2nd and/or subsequent Admission List(s): The candidates have to enter their preference of course (where choice is available) in the preference entry form. The module has been developed in a manner to ensure that if the seats fall vacant on expiry of deadline of fee payment (after declaration of any Round of results due to candidates holding higher merit do not take admission etc.), there are chances that the candidate who was initially allotted a course of his/her lower order of preference may get upgraded to a more preferred course as per his/her preference order. Accordingly, based on the preference given by the candidate at the time of counselling, there could be change in course allocation after its initial allotment. Rearrangement process will enable only upward mobility of a candidate in the order of preference filled up by him/her, vacancy being created and his/her merit order provided payment of admission fee has already been done for the initial allotment within the prescribed deadline.

Locking of Course Allotment: At times, if the candidates do not want any change in the Course allotted initially to him/her (say after 1st or subsequent round of result) thereby meaning that they want to be excluded from the aforesaid rearrangement process in the subsequent round. If he/she is satisfied with the course allocation after any round of declaration of admission list, **in such cases candidate will immediately email only through the Registered email ID of candidate** to the Convenor of the concerned Admission Committee to lock his/her course allotment. For this purpose each Admission Committee will create a dedicated email ID. If a candidate asks for lock option in the manner aforesaid, he/she will be excluded from the aforesaid rearrangement exercise in the succeeding rounds.

NOTE:

- I. **No request for locking the initial allotment of course would be entertained, if the candidate fails to give a formal email request to the concerned admission Committee(s) within the deadline indicated above.**
- II. **The choice of locking a course allotment should be entertained by 02:00 pm on the day succeeding day of course allotment. Locking the course allotment can be done only after admission in that course has been secured by making payment of prescribed fee within the prescribed deadline in the manner given above.**
- III. **It is advised to every candidate to be very clear and careful while filling up their preferences of the subject in Preference Entry Form as after locking the course allotment after submission of duly signed Preference Entry Form, the so allotted combination with Honours subject by the computerized Online Admission Module shall not be changed under any circumstances during the whole course period.**

अपग्रेडेशन एवं लॉकिंग नियम :

द्वितीय और/अथवा आगामी प्रवेश सूची(सूचियों) में पुनः व्यवस्था : अभ्यर्थी वरीयता प्रवृष्टि चरण में अपने पाठ्यक्रम की वरीयता (जहां विकल्प उपलब्ध हैं) प्रविष्टि किये होंगे। यदि शुल्क भुगतान की समय सीमा समाप्त होने पर (पहले चरण का परिणाम घोषित होने पर उच्चतर मेरिट धारण करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश न लेने के कारण इत्यादि) पहले चरण में सीटें खाली रह जाती हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरम्भ में किसी अभ्यर्थी को उसके निम्नतर वरीयता का आवंटित पाठ्यक्रम की जगह पर उच्चतर वरीयता का पाठ्यक्रम आवंटित होने का अवसर प्राप्त हो सके, मॉड्यूल

विकसित किया गया है। तदनुसार, आरम्भिक आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के समय दिये गये वरीयता के आधार पर पाठ्यक्रम विकल्प में परिवर्तन किया जा सकता है। पुनः व्यवस्था प्रक्रिया अभ्यर्थी को उनके द्वारा भरे गये वरीयता क्रम में उच्चतर पाठ्यक्रम के लिए केवल तभी उपलब्ध होगी, जब उसने अपने मेरिट के अनुसार प्रवेश शुल्क का भुगतान अन्तिम समय सीमा के भीतर प्रारम्भिक आवंटन के लिए कर दिया हो।

पाठ्यक्रम आवंटन लॉक करना : यदि अभ्यर्थी प्रारम्भ में आवंटित पाठ्यक्रम (पहले चरण की काउंसलिंग के बाद) में कोई परिवर्तन नहीं चाहता/चाहती है तो इसका तात्पर्य यह है कि वे उपरोक्त पुनः व्यवस्था प्रक्रिया से पृथक् रहना चाहते हैं। यदि अभ्यर्थी किसी चरण की प्रवेश सूची घोषित होने के बाद पाठ्यक्रम आवंटन से संतुष्ट है तो वह तत्काल रजिस्टर्ड ई-मेल आई.डी. द्वारा संबंधित प्रवेश समिति के संयोजक को पाठ्यक्रम आवंटन लॉक करने हेतु ई-मेल करेगा/करेगी। यदि कोई अभ्यर्थी उक्त तरीके से आवंटन लॉक करता/करती है तो उसे पुनः व्यवस्था प्रक्रिया से अलग कर दिया जायेगा।

तथापि, किसी पाठ्यक्रम आवंटन के लॉकिंग का विकल्प उस दिन अपराह्न 2.00 बजे तक उपलब्ध होगा जब उसके ठीक अगले चरण की प्रवेश सूची जारी होने वाली होगी। किसी पाठ्यक्रम आवंटन की लॉकिंग उस पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद केवल तभी की जा सकती है जब उस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया गया हो।

नोट :

- (i) यदि अभ्यर्थी उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित प्रवेश समिति को ई-मेल नहीं करता है तो पाठ्यक्रम आवंटन की लॉकिंग हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ii) किसी पाठ्यक्रम आवंटन के लॉकिंग का विकल्प उस दिन अपराह्न 2.00 बजे तक उपलब्ध होगा जब उसके ठीक अगले चरण की प्रवेश सूची जारी होने वाली होगी। किसी पाठ्यक्रम आवंटन की लॉकिंग उस पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद केवल तभी की जा सकती है जब उस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया गया हो।
- (iii) प्रत्येक अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वरीयता प्रविष्टि प्रपत्र में पाठ्यक्रम की वरीयता भरते समय सावधानी बरतें क्योंकि प्रवेश समिति के संयोजक को विधिवत हस्ताक्षरित वरीयता प्रविष्टि प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद पाठ्यक्रम आवंटन लॉक करने पर और उसके बाद कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन प्रवेश मॉड्यूल द्वारा ऑनर्स विषय के साथ विषय समूह आवंटित हो जाने पर पाठ्यक्रम के अवधि के दौरान इन्हे किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जायेगा।